

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj-Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांक: प.6 लेखा/RTIDF/जेसीटीएसएल/डीएलबी/2012-13/पार्ट-ग/24705 दिनांक: 23-11-2012

स्वीकृति आदेश:-

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की 11वीं बैठक दिनांक 03.08.2017 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 16393 दिनांक 14.08.2017 के एजेंडा विन्दु संख्या 11.4.4 के निर्णय क्रम में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जयपुर को वर्ष 2017-18 की संचालन हानि के विरुद्ध राशि रु. 10.00 करोड़ का अनुदान, राशि रु. 791.26 लाख के अतिरिक्त प्रावधान के साथ जेसीटीएसएल के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महाभिग्रहण राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

विकलेय मद	(राशि लाख रु. में)
मांग संख्या - 29 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (02) - जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	जारी की जाने वाली राशि
मांग संख्या - 51 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (06) - जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिए) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	686.90
मांग संख्या - 30 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (04) - जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड(अनुसूचित जनजातियों के लिए) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)	178.30
कुल योग	134.80
	1000.00

उक्त राशि हस्तान्तरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी की गई है:-

- जेसीटीएसएल राशि का व्यय आरटीडीपी एप्ट-2012/रात्न 2013, संबंधित नियमों/नियांसित प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- जेसीटीएसएल राशि का उपयोग आरटीआईडीएफ की संचालन समिति के निर्णय में उल्लेखित उद्देश्य हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- जेसीटीएसएल आगे राशि रिलीज करवाने से पूर्व उपयोगिता प्रमाण-पत्र/अंकेश्वित लेखे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
- जेसीटीएसएल संचालन हानि न्यूनतम करने के निर्णय की पालना सुनिश्चित करेगा।
- इस राशि को दैंक अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित नहीं किया जा सकेगा। राशि का पीड़ी खाते से आहरण निधियों की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
- जेसीटीएसएल उक्त अतिरिक्त प्रावधान की राशि का समायोजन अनुपूरक मांग/संशोधित प्रावधानों में कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी. क्रमांक 101705654 दिनांक 14.11.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

००७

दिनांक: 23-11-2012

- निजी सचिव, माननीय मंत्री भगोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हक) / (लेखा परीक्षा-प्रथम/द्वितीय), राज०जयपुर।
4. आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज० जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव (परिवहन) राज० जयपुर।
8. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज० जयपुर को 05 आतिरिक्त प्रतियों में प्रेषित कर निवेदन हैं कि राशि रूपये 1000.00 लाख (अक्षरे रूपये दस करोड़ मात्र) राजस्थान जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, जयपुर के निजी निषेप खाता संख्या 5746 में फरस्तान्तरित करने का अम करावें।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज० जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
12. प्रभारी वेबसाइट / समन्वयक सी.ए.आर. को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. प्रभारी अंक मिलान शाखा।


 (एस.आर.मीणा)
 परियोजना निदेशक